न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 55/2019

<u>उनवान</u>

1 प्यारचन्द पिता भैरू खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2 कैलाश पिता भैरू खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3 कन्या पुत्री भैरू खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4 कमला पत्नी भैरू खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.

—————————(प्रार्थी)

<u>बनाम</u>

1. बालु पिता कल्याण खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2. बाबु पिता रूपा खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3. शंकर पिता गोकल खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4. घीसु पिता गोमा खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5. हरदेव पिता हजारी खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
6. चोथु पिता कल्याण दरोगा उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
7. हीरा पिता मोहन खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
8. राजु पिता प्रेमा खटीक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

श्री मुरारी जोशी...... प्रार्थी अधिवक्ता
श्री कृष्ण कुमार जीनगर ....अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 03

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात</u>

दिनांक – 23.07.2019

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 26.02.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 568 के आ0न0 1002 रकबा 02–11 बीघा, खतौनी संख्या 569 के आराजी संख्या 773, 789/1, 948/2, 960, 961, 962/2, 968/2, 971 किता 8 कुल रकबा 05–15 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.03.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी कम 04 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षी सख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 04 का सम्मन अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी कम 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 04 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं, एवं दुसरी ओर विपक्षी की ओर से कोई ठोस प्रतिरोध रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 568 के आ0न0 1002 रकबा 02–11 बीघा, खतौनी संख्या 569 के आराजी संख्या 773, 789/1, 948/2, 960, 961, 962/2, 968/2, 971 किता 8 कुल रकबा 05–15 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक रायला को 900/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा